समाहरणालय, पटना
(जिला स्थापना शाखा)

फोन नं0–0612–2219545 (का0)
फैक्स नं0–0612–2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

श्री गिरीश कुमार, तत्कालीन सहायक लेखापाल, पटना कोषागार सम्प्रति निलंबित मुख्यालय कोषागार कार्यालय, मसौढ़ी के विरूद्ध ज्ञापांक–263 / को0 दिनांक–25.01.2006 द्वारा प्रपत्र–क में आरोप गठित हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध कोषागार चालान पारित करने में नाजायज राशि लेने, जेल जाने की बात को छिपाने, आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने तथा सम्पत्ति की विवरणी को लोकायुक्त कार्यालय को नहीं सौंपने का आरोप है।

उक्त आरोप में श्री कुमार को आदेश ज्ञापांक–6799 / सी0 दिनांक–31.10.2005 से निलंबित करते हुए मुख्यालय उप कोषागार मोकामा निर्धारित की गई, साथ हीं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री इम्तियाजउद्दीन अपर जिला दण्डाधिकारी (सामान्य), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी, पटना को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन के पश्चात उनके पत्रांक–2295 / सा0 दिनांक–22.07.2006 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, आरोपी का कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की समेकित विवरणी निम्नांकित है :–

आरोप का विवरण	आरोपी के कारण पृच्छा का सारांश	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य
1. श्री गिरीश कुमार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से चलान पारित करने के लिए नाजायज राशि 5 / – रू0 प्रति चालान की दर से नाजायज राशि लिया जाता पाया गया। इससे संबंधित निम्नांकित 05 व्यक्तियों द्वारा लिखित प्रतिवेदन डॉ0 बीरेन्द्र प्रसाद यादव को दिया गया। 1 जगन्नाथ ठाकुर – नया दवाखाना, सालिमपुर अहरा 2 राम विलास प्रसाद – कंकड़बाग, पटना (आई0डी0बी0आई0) 3 मुन्द्रिका सिंह – मगध आयरन, कंकड़बाग, मुन्ना चक 4 संतोष कुमार – जमाल रोड, पटना 5. शम्भू कुमार – अलीगढ़ लॉक्स प्रा0लिमि0, पीरमुहानी, पटना	आरोपी कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में उपरोक्त आरोपो के संबंध में उल्लेख किया है कि नाजायज राशि लेने की बात पूर्णतः आधारहीन एवं भ्रामक है। साथ हीं गवाहो के लिखित वयान में कही अंकित नही है कि यह राशि आरोपित कर्मचारी द्वारा किससे लिया गया और कौन वयक्ति कब किस तिथि को नाजायज राशि देकर चालान पारित करवाया। आरोपित कर्मचारी ने गवाहो को बुलाने का अनुरोध किया।	उपस्थापन पदाधिकारी ने बताया कि यह घटना कोषागार के किसी पदाधिकारी के समक्ष नही हुई थी। पांचो गवाहों को विभिन्न तिथियों को सूचना निर्गत की गई, लेकिन पांचो में से कोई भी गवाह उपस्थित नही हुए। गवाहो का जो लिखित बयान है, अगर उसको आधार माना जाए तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री गिरीश कुमार प्रत्येक चालान को पारित करने के लिए 5 / – रू0 लेते हैं चूँकि यह बयान एक वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी के समक्ष दिया गया है एवं साक्ष्य के आधार पर लगाया गया है। ऐसी परिस्थिति में आरोपित कर्मचारी का स्पष्टीकरण तर्क संगत एवं युक्ति पूर्ण नही है। चूँकि कोई गवाह उपस्थित होकर अपने द्वारा दिये गये लिखित बयान को खारिज नही किया है। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा दिया गया लिखित बयान सही है और उसमें उन्होंने श्री गिरीश कुमार को चालान पारित करने में पैसा लेने की बात स्पष्ट रूप से लिखा है। अतः आरोप संख्या–01 प्रमाणित होता है।

फोन नं0–0612–2219545 (का0)
फैक्स नं0–0612–2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

2. श्री गिरीश कुमार, सहायक के विरूद्ध पूर्व में भी आरोप लगे है। उक्त उल्लेखित पत्रांक–06 कैम्प दिनांक–01.10.2005 के अनुसार श्री कुमार 14.08.2002 से 10.09.2002 तक जेल में भी रहे एवं श्री कुमार, भारतीय दंड विधान की धारा 384 के नामजद अभियुक्त रहे है। श्री कुमार द्वारा जानबूझ कर जेल जाने की बात को छुपाया गया, तद्नुसार जिलाधिकारी/समाहर्ता, पटना के ज्ञापांक–68 को0 दिनांक–09.04.2003 के द्वारा श्री गिरीश कुमार को 14.08.2002 से 10.09.2002 तक की अवधि को निलम्बन अवधि माना गया तथा इस तथ्य की प्रविष्टि सेवापुस्त में भी की गई है।	आरोपित कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है कि संबंधित काण्ड उनपर प्रमाणित नही हो पाया है एवं हिरासत में पुलिस द्वारा अन्य अभ्युक्तों के साथ उन्हें भी जेल भेज दिया गया, जो अंतोगत्वा पुलिस ने उन्हे निर्दोष पाया और न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध संज्ञान नही लिया गया। इस प्रकार उन्हें निर्दोष साबित हो जाने पर सरकार के विरूद्ध में उन्हें मान हानी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि गलती उनकी नही थी। फिर भी न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा।	आरोप पत्र के आरोप सं0–02 को देखने से स्पष्ट है कि आरोप इस बात पर है कि श्री कुमार 14.08.2002 से 10.09.2002 तक जेल मे रहे। लेकिन उनके द्वारा जानबूझकर जेल जाने की बात को छुपाया गया। कांड सही होने या गलत होने से संबंधित आरोप नही है। आरोपित कर्मचारी ने कही पर भी अपने बयान में इस बात को अस्वीकार नही किया है कि उन्होंने जेल में बिताई गई अवधि के संबंध में अपने कोषागार पदाधिकारी से नही छुपाया। प्रस्तोता पदाधिकारी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपित कर्मचारी ने जेल जाने की बात को छुपाया था। अतः अरोप संख्या–02 प्रमाणित होता है।
3. डॉ0 बीरेन्द्र प्रसाद यादव के प्रतिवेदन अनुसार श्री कुमार से संबंधित एक मामला माननीय लोकायुक्त के कार्यालय में लंबित है। जिसमें उन पर आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है इसकी जांच अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को करनी थी परन्तु वे संभवतः अभी तक जाँच नही कर पाये है।	आरोपित कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में इस बात को माना है कि उनके विरूद्ध एक मामला लोकायुक्त कार्यालय में लंबित है। जिसे विशेष छानबीन एवं कार्रवाई के लिए मंत्री मंडल निगरानी विभाग को अनुसंधान करने का निदेश दिया गया है ।	आरोपित कर्मचारी के इस स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि लोकायुक्त कार्यालय में इनके विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक सम्प्रति के बारे में जाँच चल रही है और जाँचोपरान्त इसका अनुसंधान करने के लिए मंत्रीमण्डल निगरानी विभाग को अनुसंधान हेतु अनुशंसा की गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रथमद्रष्टा लोकायुक्त कार्यालय में जाँचोपरान्त अप्रत्यानुपातिक सम्पति का मामला बनता है तथा निगरानी विभाग को अनुसंधान करने के लिए भेजा गया। चूँकि मामला अभी लोकायुक्त एवं मंत्रीमण्डल निगरानी विभाग में लंबित है। ऐसी परिस्थिति में इस आरोप पर संचालन करना उचित प्रतीत नही होता है।
4. पत्रांक–06/कैम्प दिनांक –01.10.2005 के अनुसार लोकायुक्त के अवर सचिव ने अपने पत्रांक–1735 दिनांक– 24.06.2004 द्वारा श्री कुमार के संपत्ति की –	आरोपित कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि उन्होंने लोकायुक्त के अवर सचिव को शपथ पत्र के साथ दिनांक–20.08.2004 को हीं अपनी सम्पत्ति की विस्तृत विवरणी विहित प्रपत्र में –	उपरोक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि आरोपित कर्मचारी द्वारा अपनी सम्पत्ति की विवरणी लोकायुक्त कार्यालय को भेज दिया गया है। इस प्रकार यह आरोप प्रमाणित नही हो पाता है।

फोन नं0–0612–2219545 (का0)
फैक्स नं0–0612–2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

विवरणी की माँग की गई थी। यह स्पष्ट नही है कि श्री गिरीश कुमार द्वारा सम्पत्ति की विवरणी लोकायुक्त कार्यालय को सौपा गया अथवा नही तथा उनपर क्या निर्णय लिया गया।	भेज दिया है। इन्होंने इस संबंध में साक्ष्य भी दिया है।	
		उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आरोप संख्या–01 एवं 02 आरोपित कर्मचारी के विरूद्ध प्रमाणित है। जबकि आरोप संख्या–03 में तथ्य है लेकिन चूँकि मामला लोकायुक्त कार्यालय/मंत्रिमंडल निगरानी विभाग में लंबित है। अतः किसी प्रकार का संचालन करना एवं टिप्पणी देना उचित नही है। आरोप संख्या–04 प्रमाणित नही होता है।

संचालन पदाधिकारी के उपर्युक्त जांच प्रतिवेदन में आरोपी पर गठित आरोप संख्या–01 एवं 02 को संचालन पदाधिकरी द्वारा प्रमाणित पाया गया है तथा ओराप संख्या–04 प्रमाणित नहीं पाया गया है एवं आरोप संख्या–03 आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला लोकायुक्त कार्यालय/मंत्रिमंडल निगरानी विभाग में लंबित रहने के कारण इस आरोप पर संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन है कि **''इसका संचालन करना तथा कोई टिप्पणी देना उचित नही है''** फलतः श्री कुमार के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक सम्पत्ति से संबंधि आपराधिक मामला नयायालय में विचाराधीन रहने के कारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल आने तक अंतिम निर्णय हेतु विभागीय कार्यवाही को आदेश दिनांक–02.01.2009 के द्वारा स्थगित रखा गया था, साथ हीं श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किया गया था।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित निगरानी थाना काण्ड संख्या–39/2006 दिनांक–25.07.2006 में निगरानी न्यायालय (व्यवहार न्यायालय, पटना) के विशेष वाद संख्या–07/10 में मानक श्रोत से अधिक परिसम्पत्ति संग्रहित किये जाने से संबंधित पारित आदेश के आलोक में समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना के स्पेशल वाद संख्या–02/11–12 के द्वारा श्री कुमार के अधिहरित परिसम्पत्तियों को सरकार के दखल–कब्जा में ले लिया गया है। इस प्रकार श्री कुमार के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन का मामला न्यायालय द्वारा स्थापित हो चुका है। अतः इनके विरूद्ध स्थगित विभागीय कार्यवाही को जिसमें संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं अभिमत प्राप्त हो चुका है, को आदेश ज्ञापांक–3643/स्था0 दिनांक–05.12.2011 के द्वारा पुनः प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई। साथ हीं श्री कुमार को पुनः निलंबित करते हुए मुख्यालय उप कोषागार, मसौढ़ी निर्धारित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध गठित आरोप संख्या–01 एवं 02 प्रमाणित पाये जाने एवं आरोप संख्या–03 आय से अधिक सम्पत्ति का मामला स्थापित हो जाने का आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण उक्त आदेश ज्ञापांक–3643/स्था0 दिनांक–05.12.2011 के द्वारा श्री कुमार से अपने बचाव में द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई, जिसके आलोक में स्मारोपरान्त श्री कुमार के आवेदन दिनांक–14.07.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित की गई है, जो निम्नांकित है :–

(I) यह कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप संख्या–01 और 02 प्रमाणित घोषित किया जाना विधि संगत नही है। चूँकि संचालन पदाधिकारी ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 का उल्लंघन करते हुए अपनी जाँच प्रक्रिया मनमाने तरीके से संपन्न की थी।

(II) यह कि संचालन पदाधिकारी ने संबंधित पक्षों/गवाहों का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नही दिया।

(III) यह कि जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने स्वयं उदृत किया है कि नोटिस दिये जाने के बावजूद गवाह उपस्थित ही नही हुए।

(7)

फोन नं0–0612–2219545 (का0)
फैक्स नं0–0612–2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

(IV) यह कि उपरोक्त परिस्थिति में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य की आरोप प्रमाणित पाये गये विधि मान्य नही है।
(V) यह कि आरोप संख्या–02 की जाँच प्रक्रिया पूर्व में श्री वासुदेव दास, अपर समाहर्ता, नक्सल, पटना द्वारा संपन्न की जा चुकी थी। उनके द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन विभागीय अभिलेख में संधारित है। अतः पुनः दुबारा इस पर जांच किया जाना विधि संगत नही है।
(VI) यह कि आरोपों का बार–बार जांच कर भिन्न–भिन्न जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाना नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है।
(VII) यह कि विशेष वाद संख्या–07/10 एवं स्पेशल वाद संख्या–02/11–12 के आदेश का प्रश्न है, यह अंतिम आदेश नही माना जा सकता। चूँकि इनका न्यायिक अपीलीय प्रक्रिया पुर्नविचार हेतु लंबित है।
(VIII) यह कि वर्त्तमान सेवा ही मेरे परिवार के जिविका का साधन है। अतः न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम रूप से संपादन की अवधि तक यह कार्रवाई स्थगित रखने की विशेष कृपा करें।
(IX) यह कि विधि स्थापित नियमो के आलोक में भवदीय यदि आवश्यकता समझे तब वैसी परिस्थिति में संदर्भित अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपियों न्याय–हित में उपलब्ध कराकर अपना पक्ष मुझे रखने का अवसर अवश्य प्रदान करने की कृपा करेंगें।

विचारण :–

श्री कुमार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण पृच्छा भी इनके प्रथम कारण पृच्छा के ही लगभग समरूप है। प्रथम कारण पृच्छा में मुख्य रूप से आरोप संख्या–01 के संबंध में कहा गया है कि नजायज राशि लेने की बात पूर्णतः आधारहीन एवं भ्रामक है। गवाहों के लिखित बयान में कही अंकित नही है कि यह राशि आरोपित कर्मचारी द्वारा किससे लिया गया और कौन व्यक्ति कब किस तिथि को नजायज राशि देकर चलान पारित कराया गया। आरोप संख्या–02 के संबंध में श्री कुमार द्वारा कहा गया है कि संबंधित काण्ड उनपर प्रमाणित नही हो पाया है एवं हिरासत में पुलिस द्वारा अन्य अभ्युक्तों के साथ उन्हें भी जेल भेज दिया गया। अंतोगत्वा पुलिस द्वारा उन्हे निर्दोष पाया गया और न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध संज्ञान नही लिया गया। इसमें काण्ड को सही या गलत होने का आरोप नही है, बल्कि जेल जाने की बात को छिपाने का आरोप है। इनके प्रथम कारण पृच्छा को तर्कसंगत एवं युक्तिपूर्ण नही मानते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रथम कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए आरोप संख्या–01 एवं 02 को प्रमाणित पाया है।

आरोप संख्या–03 आय से अधिक धनार्जन का मामला न्यायालय द्वारा स्थापित भी हो चुका है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का द्योतक है।

श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा में इनके द्वारा प्रथम कारण पृच्छा के बातों को हीं दोहराते हुए कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप संख्या–01 एवं 02 को नियमानुसार पारित नहीं किया गया है तथा संबंधित पक्षों/गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर उनके द्वारा नही दिया गया है, साथ हीं यह भी कहा गया है कि आय से अधिक धनार्जन के मामला से संबंधित निगरानी न्यायालय (व्यवहार न्यायालय, पटना) विशेष वाद संख्या–07/10 एवं समाहर्ता एवं दण्डाधिकारी, पटना के स्पेशल वाद संख्या–02/11–12 के विरूद्ध न्यायिक अपील पुर्नविचार हेतु लंबित है। अतः न्यायिक प्रक्रिया को अंतिम रूप से संपादन के अवधि तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने का अनुरोध श्री कुमार द्वारा किया गया है। आय से अधिक धनार्जन का मामला में इनके अधिहरित परिसंपत्तियों को सरकार के पक्ष में दखल–कब्जा में ले लिया गया है तथा द्वितीय कारण पृच्छा में इनके द्वारा कोई ठोस तथ्य या साक्षय नही रखा गया है। अतः इनके **द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया जाता है।**

निष्कर्ष :–

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य, आरोपी का कारण पृच्छा तथा संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन के समीक्षोंपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध ट्रेजरी चलान पारित करने हेतु नाजायज राशि लेना, भारतीय दण्ड विधान की धारा–384 के नामजद अभियुक्त रहने तथा जेल जाने की बात छुपाने एवं निगरानी न्यायालय द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप प्रमाणित होता है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3–1 (i)(ii)(iii) के प्रतिकूल है।

समाहरणालय, पटना
(जिला स्थापना शाखा)

फोन नं0–0612–2219545 (का0)
फैक्स नं0–0612–2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं उपर्युक्त न्यायिक निर्णय के आलोक में अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण समाधान हो चुका है कि श्री कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त रहते है एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहते हैं। इन्हें सेवा में रखना, सरकारी शील, निष्ठा एवं छवि को धुमिल करना है।

इन्हें कठोर दंड देना अनिवार्य हो गया है अन्यथा अराजकता एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा सरकारी कर्मियों के बीच गलत संदेश जाऐगा।

अतः मैं **संजय कुमार अग्रवाल, जिला पदाधिकारी–सह–समाहर्ता, पटना बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 यथा संशोधित–2007 के नियम 14(xi)** में निहित शास्तियों के आलोक में श्री गिरीश कुमार, तत्कालीन सहायक लेखापाल (निलंबित), पटना कोषागार सम्प्रति मुख्यालय कोषागार कार्यालय, मसौढ़ी को **आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त करता हूँ।**

श्री गिरीश कुमार, सहायक लेखापाल से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

1. कर्मचारी का नाम :– श्री गिरीश कुमार
2. पिता का नाम :– स्व0 सिद्धेश्वर शर्मा
3. पद का नाम :– सहायक लेखापाल
4. कार्यालय का नाम :– कोषागार कार्यालय, पटना सम्प्रति मुख्यालय कोषागार कार्यालय, मसौढ़ी
5. वेतनमान :– 1400–2600 (अपुनरीक्षित)
6. स्थाई पता :– ग्राम–तिनेरी, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना
7. वर्त्तमान पता :– गंगा सदन, पार्क रोड, थाना–कदमकुआं, जिला–पटना

ह0/–
समाहर्त्ता,
पटना।

ज्ञापांक–.. XXX-44/2008........317........../स्था0, पटना, दिनांक–...22/01/16

प्रतिलिपि :– श्री गिरीश कुमार, तत्कालीन सहायक लेखापाल (निलंबित), पटना कोषागार सम्प्रति मुख्यालय कोषागार कार्यालय, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं अनुपलनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री कुमार की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि इसका तामिला श्री कुमार को कराकर तामिला प्रतिवेदन इस कार्यालय को अविलम्व भेजना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), पटना को पटना जिला के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा (सामान्य शाखा), पटना को सी०डी० के साथ जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– स्थापना उप समाहर्ता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला एवं सभी अंचल अधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्ता, विभागीय जांच –सह– संचालन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/1

समाहर्त्ता,
पटना।